न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

इजलास – त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34 / 2017

तारीख दायर 30.03.2017

उनवान

1. नाराण पिता बख्ता दरोगा निवासी हरिसिंहजी का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––वादी

बनाम

1. सुखा पिता मगना गुर्जर निवासी हरिसिंहजी का खेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. सीताराम उर्फ सितियॉ पिता सुखा गुर्जर निवासी हरिसिंहजी का खेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. मोहनी पत्नी सुखा गुर्जर निवासी हरिसिंहजी का खेडा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक 11.11.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम हरिसिंहजी का खेडा पटवार हलका रलायता तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में जमाबन्दी वर्ष 2072–75 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 30 की आराजी संख्या 176 / 47 रकबा 02 बीघा भूमि वादी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य में दर्ज रेकार्ड है। यह कि प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर सन् 2014 के जुलाई माह में जबरदस्ती कब्जा कर लिया जबकि यह भूमि वादी ने प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही की है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई मर्तबा विवादित भूमि से कब्जा हटाने को कहा

तो प्रातिवादीगण ने कहा कि जमीन की पत्थरगढ़ी करवा लो वादी की जमीन निकलेगी तो प्रतिवादीगण कब्जा हटाकर वादी को सौप देंगे। वादी ने दिनांक 24.06.2015 को विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई तो प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर नाजायज कब्जा निकला। पत्थरगढ़ी के दौरान प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा होने पर भी प्रतिवादीगण ने कब्जा नही हटाया। अतः इस आशय की बेदखली की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावें कि मौजा हरि सिंह जी का खेडा पटवार हलका रलायता के आराजी संख्या 176/47 रकबा 2 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर अवैध अतिक्रमण हटाया जावे एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा पुनः वादी को सुपूर्द किया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 26.03.2018 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए गए।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में वादी के बयान करवाए गए। वादी नारायण पिता बख्तावर जाति दरोगा ने अपने बयानो में यह अवगत करवाया कि मेरे खाते की कृषि भूमि ग्राम हरि सिंह जी का खेडा में स्थित है जिसका रकबा 02 बीघा है। उक्त भूमि मेरे हक व खाते की है तथा मुझे आवंटन से प्राप्त हुई है। वादी द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु ग्राम हरि सिंह जी का खेडा पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 30 की प्रति प्रस्तुत की गयी जो प्रदर्श–1 है। वादी द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि वर्तमान में मेरा उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है एवं पिछले 4–5 वर्ष से मेरी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है। वादी ने अपने बयानो में यह भी अवगत करवाया कि मेरे द्वारा मेरी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवायी गयी उक्त पत्थरगढ़ी दिनांक 24.06.2015 को की गयी जिसकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पटवारी हलका द्वारा यह अंकित किया गया है कि मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान उक्त आराजी संख्या 176/47 रकबा 02 बीघा पर सुखा पिता मगना गुर्जर निवासी हरि सिंह जी का खेडा का कब्जा पाया गया। नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका (पत्थरगढ़ी) क्रमशः प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 है।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य पी.डब्ल्यू. 2 के रूप में रामेश्वर पिता केसर जाति दरोगा निवासी हरि सिंह जी का खेडा के बयान करवाये गये। साक्ष्य वादी द्वारा यह अवगत करवाया गया कि मै वादी एवं उसकी कृषि भूमि को जानता हूँ जो ग्राम हरि सिंह जी का खेडा में स्थित है। वादी की उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण ने पिछले 4 वर्ष से कब्जा कर रखा है एवं प्रतिवादीगण वादी की कृषि भूमि का कब्जा नही छोड रहे है।

पत्रावली दिनांक 07.11.2019 को बहस हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने न्यायालय से निवेदन किया कि वादी की कृषि भूमि आराजी संख्या 176/47 रकबा 02 बीघा बारानी द्वितीय ग्राम हरि सिंह जी का खेडा पटवार हलका रलायता तहसील माण्डलगढ़ में स्थित है उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर रखा है। न्यायालय हाजा के आदेश से पत्थरगढ़ी किये जाने पर पटवारी हल्का रलायता द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया हुआ है कि मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान उक्त आराजी संख्या 176/47 पर सुखा पिता मगना गुर्जर निवासी हरि सिंह जी का खेडा का कब्जा पाया गया है। अधिवक्ता वादी ने यह भी अवगत करवाया कि प्रतिवादीगण वादी को उसकी भूमि मे प्रवेश नही करने दे रहे है। अतः प्रश्नगत भूमि में प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर वादी की कृषि भूमि वादी को सुपूर्द की जावे। पेरोकार सरकार द्वारा अपने कथन में कहा गया कि प्रश्नगत भूमि की वास्तविक स्थिति पत्थरगढ़ी रिपोर्ट से स्पष्ट होती है।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम हरि सिंह जी का खेडा संवत् 2072–75 खाता संख्या 30, पर्चा मौका पत्थरगढ़ी ग्राम हरि सिंह जी का खेडा दिनांक 24.06.2015 व गवाह बयान तथा पत्रावली में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 176/47 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी द्वितीय ग्राम हरि सिंह जी का खेडा पटवार हलका रलायता तहसील माण्डलगढ़ वादी की खातेदारी में स्थित कृषि भूमि है एवं उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादी को सुपूर्द करे। आदेशानुसार डिक्री अलग से तरतीब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2019.11.15 17:36:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: